

जायन्ती
सफलता
धारा 88,
नी गयी।
अप्रार्थीगण
रिपन

हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 26/2023 अनवान कमला बनाम शेराराम

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनपरान्त न्यायालय को प्रथम दृष्टया इस बात की सन्तुष्टी है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक खातेदारी की भूमि होने से अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का बेचान करवाते है तो प्रार्थीनी का अपूर्णीय क्षति होगी। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में है। लिहाजा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत करने तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीनी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा जसोताणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाडखा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 333/331 रकबा 3.1889 व 332/331 रकबा 3.1889 हैक्टर भूमि में मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाए रखें। वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 17.02.2023 को पेश हो।

(Signature)
सहायक कलक्टर
(SDO) बाडमेर

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाम पक्षकारान उपस्थित। पीठारीन अधिकारी दीगर कार्यों में व्यस्त हैं मिसल ईत्तवा होकर दिनांक -02/03/23 को पेश हो।

विजापी की ओर से प्रार्थना पत्र धाख/पा ६-१८ का पेश
है

02/03/23

पत्रावली आज पेश हुई।
अधिकारी दीगर कार्यों में व्यस्त हैं
रेफरेन्स/हस्ताक्षर/मिसल ईत्तवा होकर दिनांक 26/2/23 को पेश हो

29/03/23

(Signature)
प्रार्थीनी (पत्रावली) के कर्तव्य कार्यवाही -
पत्र पर पत्रावली आज पेश हुई। शक्ति
कुल वाद जगिपे विज्ञे आदिज मिपजा
हुका हो अतः इस उजलण में जारी स्थान
आदिजा इसी तरह पर जारीय कर यह उजलण
जगिपे विज्ञे आदिज मिपजा जाता है पत्रावली
मिसल ईत्तवा होकर दिनांक 26/2/23 को पेश हो

मि 23

(Signature)

सहायक कलक्टर
(SDO) बाडमेर